



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब०/ 108 / 2024

दिनांक- 18.07.2024

कार्यालय-ज्ञाप


माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक (प्रति विषय/पाठ्यक्रम) एवं विधि महाविद्यालय सत्र 2024-25 में सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क+जी०एसी०टी० दिनांक 20 जुलाई, 2024 तक पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 19.04.2024, 02.07.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार पत्रावली प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा दिनांक 20.07.2024 तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे महाविद्यालय सम्बद्धता शुल्क+जी०एसी०टी० एवं दण्ड स्वरूप रू० 10,000/- प्रति विषय/पाठ्यक्रम दिनांक 31.07.2024 तक जमा कर पत्रावली उपलब्ध करायेंगे। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को सत्र 2024-25 में सम्बद्धता विस्तरण न होने की दशा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. अधीक्षक-कुलसचिव कार्यालय।
7. अधीक्षक-सम्बद्धन।
8. गार्ड फाईल।


18/7/24
कुलसचिव
